## न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 180/2019 निर्णय दिनांक :– 23.1.20

**उनवान**

1. छोटूराम पुत्र स्व0 श्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम नन्दकिशोरपुरा, पोस्ट ठीकरिया मीणान, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

2. हनुमान प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम नन्दकिशोरपुरा, पोस्ट ठीकरिया मीणान, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

------ वादीगण

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

## दावा बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा त/धा 88, 188
## राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955

वादीगण ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि भूमि के हाल खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 99 से 102, 218, 219, 265 से 269, 269/361 कुल किता 12 कुल रकबा 5.44 है0 भूमि ग्राम नन्दकिशोरपुरा, पटवार हलका ठीकरिया मीणान, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर है जो राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र रामकिशन एवं ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज है। वादी संख्या 1 को रामदेव पुत्र रामकिशन व छोटूराम, पुत्र रामकिशन दोनों नामों से जाना जाता है तथा वादी संख्या मकान को ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन व हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन दोनों नामों से जाना जाता है जिसमें वादीगण के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि सम्पूर्ण दस्तावेजात् में वादी संख्या 1 का नाम छोटूराम पुत्र रामकिशन एवं वादी संख्या 2 का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन नान दर्ज है। वादीगण को घर पर: रामदेव पुत्र रामकिशन एवं ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन के नाम से जाना जाता था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम रामदेव पुत्र रामकिशन एवं ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन दर्ज हली गया। पिता रामकिशन की मृत्यु के समय

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादीगण नाबालिक थें वादी संख्या 1 की उम्र लगभग 6 वर्ष तथा वादी संख्याँ 2 की उम्र लगभग 3 वर्ष थी। रामकिशन के फौत हो जानें के पश्चात जब वादीगण के नाम विरासत का नामान्तरण खोला गया तब राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम रामदेव पुत्र जैमकिशन एवं ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन दर्ज हो गया जबकि वादीगण के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि सम्पूर्ण दस्तावेजात में वादी संख्या 1 का नाम छोदूराम पुत्र रामकिशन एवं वादी संख्या 2 का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन का नाम दर्ज है उक्त गलती वादीगण के नाबालिग होने के कारण हुई है। वादीगण के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजात में छोटूराम पुत्र रमकिशन एवं हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन नाम दर्ज है तथा राजंस्व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र रामकिशन एवं ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन नाम दर्ज है इस कारण नाम अन्तर आने की वजह से वादीगण को कानूनी अडचने आ रही है जबकि वास्तव में रामदेव पुत्र रामकिशन व छोदूराम पुत्र रामकिशन दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है तथा ओमप्रकाश पुत्र रामकिंशन व हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है केवल नाम में गलती रह गई है जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक व उचित है। दिनांक 08.07.2019 को के.सी.सी. बनवाने हेतु जमाबंदी प्राप्त की तो प्रथम बार ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी रिकॉर्ड में वादागण का घर का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नाम रामदेव पुत्र रामकिशन तथा ओमप्रकाश पुत्र रमकिशन चला आ रहा है जबकि वादीगण के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजात में छोटूराम पुत्र रामकिशन एवं हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन नाम दर्ज है। इस दुरूस्ती हेतु वादीगण ने प्रतिवादी को निवेदन किया तो उन्होनें दिनांक 08.07.2019 को इन्कार कर न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने हेतु कहा इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा अन्दर मियाद काबून मियाद प्रस्तुत है। दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा का डिक्री किया जाकर वादीगैण को बादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 में वादी संख्या 1 का नाम रामदेव पुत्र रामकिशन के स्थान पर छोटूराम पुत्र रामकिशन तथा वादी संख्या 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन दुरूस्त किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी व जवाब सरकार लिया गया तो प्रतिवादी द्वारा जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि बिन्दु संख्या एक लगायत तीन स्वीकार है। बिन्दु संख्या चार व पांच वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या छः से दस न्यायालय से संबंधित है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करते हुये मुताबिक जवाब सरकार व दस्तावेज अनुसार दावा वादी डिक्री किया जावे।

वादीगण के दावे में समर्थन में ग्राम नन्दकिशोरपुरा की जमाबंदी 2072–75 खाता संख्या 43, 44 संवत 2056–57 खाता संख्या 24 नामान्तकरण संख्या 2 चुनाव, पहचान पत्र छोटूराम पुत्र रामकिशन, आधार कार्ड, हनुमान प्रसाद का परिवार राशनकार्ड, पंचायत प्रमाण पत्र ठीकरिया मीणान छोटूराम का शपथ पत्र, हनुमान का शपथ पत्र बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर यिका व दावा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादीगण का नाम नामान्तकरण संख्या 2 खोलते समय बोलते नाम से खोल दिया गया जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात सरपंच प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर भूमि हाल खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 99, 100, 101, 102, 218, 219, 265, 266, 267, 268, 269, 269/361 किता 12 रकबा 5.44 है0 भूमि वाके ग्राम नन्दकिशोरपुरा तहसील कोटखावदा में वादी संख्या 1 का नाम रामदेव पुत्र रामकिशन के स्थान पर छोटूराम पुत्र रामकिशन व वादी संख्या 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र रामकिशन दुरूस्त किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू





Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:34:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: